संख्या-90/2023/686/001-686-23-10-2023-49-सा0/2023

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्य ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 12 मई, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल 07 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के 07 चालू सेतुओं के निर्माण कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 374.37 लाख(जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 294.97 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 79.40 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लोनि0वि00, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक /लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष में 24-2023 वित आवंटनप्रस्ता		
											अनुदान सं57-0	अनुदान सं83-0	योग (13+12)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4028/CE-SEB/RYB/VNS/2023-24 दिनांक 01.05.2023	प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में विधानसभा ब दलापुर में विकास खण्ड महराजगंज में ग्राम ठेमा (डिहिया) करनपुर के मध्य तम्मुरा नाले पर बाक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त प हुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	-दिनांक-15-03-2020	109.42/ 109.42/ 81.16	0.20	109.22	56.99	52.43	52.23	32.92	86.86	41.78

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लोनि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक /लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष में 24-2023 वित आवंटनप्रस्ता		
											अनुदान सं57-0	अनुदान सं83-0	योग (13+12)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में ग्राम सभा अमरेथुआ में नाले (बेसव नदी) पर बाक्स कलवर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	25/2021/1508/23-10-20-68(सेतु / (2020-दिनांक-11-02-2021	183.74/ 183.74/ 141.52	0.20	183.54	165.37	18.37	18.17	11.45	3.08	14.54
3		प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में ग्राम सभा जपटापुर एवं भुडकुड़का के बीच नाले पर बाक्स कलवर्ट, पहुंच मार्ग, एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	44/2021/36/23-10-21-69(सेतु / (2020-दिनांक-15-03-2021	88.75 / 88.75 / 68.24	0.34	88.41	83.97	4.78	4.44	2.80	0.75	3.55
4		प्रा.ख. गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में मरदानपुर लक्ष्मण एवं मुहम्मदपुर (चैहान बस्ती) के बीच मगई नदी पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	109/2020/1031/23-10-20-यू0ओ0-62/2019-दिनांक-13-10-2020	459.41/ 459.41 / 223.42	**00**	**459.41**	389.86	69.55	69.55	43.84	11.80	55.64
5		प्रा.ख. गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में ग्राम बड़ीहारी-दौलतपुर गांगी नदी(तेंदुआ घाट) पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्यासि के निर्माण कार्य।	127/2021/1090/23-10-21-07(सेतु / (2021-दिनांक-21-12-2021	540.14 / 540.14 / 316.05	**8.47**	**531.67**	135.03	405.11	200.00	126.06	33.94	160.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लोनि0वि00, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक /लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष में 24-2023 वित आवंटनप्रस्ता		
											अनुदान सं57-0	अनुदान सं83-0	योग (13+12)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	4133/CE-SEB/RYB/VNS/2023-24 दिनांक 03-05-2023	नि.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में नूरपुर नई दिल्ली पाल बस्ती सम्पर्क मार्ग किमी.-2 में 2x3 x3.00 मी. आर. सी.सी. बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	22/2023/1544/23-10-22-03(सेतु / (2022-दिनांक-03-02-2023	44.53/ 44.53/ 31.88	0.01	44.52	2.72	41.81	39.57	24.94	6.71	31.66
7		नि.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में बोदारा खुर्द सम्पर्क मार्ग पर लेफट कर्मनाशा कैनाल पर लघु सेतु का नव निर्माण का कार्य।	121/2021/1202/23-10-21-26 (सेतु)/ 2021-दिनांक-13-12-2021	106.13 / 106.13 / 78.81	0.07	106.13	5.00	101.13	84.00	52.95	14.25	67.20
			योग :-			9.29	1522.90	838.94	693.18	467.96	294.97	79.40	374.37

अवमुक्त धनराशि रू0 374.37 लाख (रूपये तीन करोड चौहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र)

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

(1) **उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।**

(2) **राज्य योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।**

(3) **उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।**

(4) **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग**-1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या** -2/2023/**बी**-1-227/**दस**-2023-231/2023, **दिनांक** 17 **मार्च**, 2023 **में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(5) **स्तम्भ** -5 **में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।**

(6) **लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग**-1 **के शासनादेश सं**.-10/2022/**बी**-1-345/**दस**-2022, **दिनांक** 04.05.2022 **निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग**-6 **में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार आचार संहित प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,94,97,000 (रुपये दो करोड चौरानवे लाख सत्तानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 79,40,000 (रुपये उन्नयासी लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07- जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-90/2023/686/001-686-23-10-2023-49-सा0/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in